

समक्ष न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल गद्यप्रदेश ग्वालियर



Rec'd by
1.3.14

नितिन कुमार आत्मज दामोदर प्रसाद चौधरी उम्र करीब 34 साल
निवासी ग्राम सनखेड़ा तहसील इटारसी जिला होशंगाबादआवेदक

विरुद्ध

1664-PBZ/14

श्रीमति राजो बाई उर्फ रजिया बाई उम्र 60 साल विधवा मिश्रीसिंह (भृत) वारसान
1. श्रीमति सुखिया बाई पत्नि विशाल सिंह
निवासी बरेली जिला रायसेन
2. श्रीमति छुट्टनबाई पत्नि लल्लूसिंह
साकिन पचमढी रोड पिपरिया जिला होशंगाबाद
3. राजेश उर्फ विजेन्द्र सिंह आत्मज मिश्रीसिंह

साकिन शा० बालक उच्चतर मा० विधालय के सामने इटारसी जिला होशंगाबाद

उत्तराखण्ड मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर होशंगाबादउत्तरवादीगण

उत्तराखण्ड मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद

26.3.14 को निगरानी याचिका घारा 42 मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत

अनुचित वैकल्पिक प्रक्रिया

आवेदक यह निगरानी याचिका श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम सभाग होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/निगरानी/2008-09 नितिन चौधरी वि० श्रीमति राजो बाई वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.12.2013 जो कि अपर कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा राजस्व सीलिंग प्रकरण क्रमांक 13 मद अ/90 व (3) वर्ष 90-91 नितिन कुमार विरुद्ध शासन में पारित आदेश दिनांक 19.07.06 एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी इटारसी द्वारा दायरोंका 24 मद अ/90 व (3) वर्ष 83-84 शासन विरुद्ध मिश्रीलाल में पारित आदेश दिनांक 22.04.89 से उत्पन्न हुआ के विरुद्ध असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करता है।

R.1064-PB2114 ट्रॉन्गवां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अधिका आदेश	पक्षकारों एवं अधिभासकों आदि के हस्तान
१५।११।५	<p>—ओकेदकु अभिभाषकु सूचना उपरांत अनुपीक्षत तीन बार ऊवज क्षणकायी गयी ओकेदकु अभिभाषकु की अनुपीक्षति में प्रकरण अदम पैरवी में रकारिज छिया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">४२ ३८८२५</p>	